राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (म.प्र.)

एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर, भोपाल–462033 (म.प्र.)

दूरभाष 0755–2678870, फेक्स न0 0755–2742006

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/4225 भोपाल, दिनांक 11/12/2013

//सूचना//

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबंद्ध समस्त महाविद्यालयों को यह सूचित किया जाता है कि, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3–22/2013 /26–2 दिनॉक 20/06/13 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995) के प्रावधानों के तहत निःशक्त बालक/बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2013 प्रारंभ की गई है। जिसके तहत निम्नानुसार सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश है :–

क्रं	निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री का नाम	प्रथम बार	द्वितीय बार
01	मंदबुद्धि	लेपटॉप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही।	स्नातक/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
02	दृष्टिबाधित	लेपटॉप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही।	स्नातक/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
03	श्रवण बाधित	लेपटॉप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही।	स्नातक/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
04	अस्थि बाधित (दोनो हाथ न होने पर)	लेपटॉप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही।	स्नातक/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
05	अस्थि बाधित (दोनो पैरो से चलन में अक्षम)	मोट्रेट ट्रायसाइकिल	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही।	स्नातक/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर

पात्रता के मापदण्ड :–

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. अस्थि बाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50 अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पालीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
3. निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो।
4. निःशक्त विद्यार्थी का स्पर्श अभियान के पोर्टल में नाम अंकित होना अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया :–

निःशक्त विद्यार्थियों को सामजिक न्याय विभाग के अंतर्गत स्पर्श पोर्टल पर वेबसाईट – wwwsprarsh.mp.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जिसका निर्धारित का कोड अनियार्य रूप से अंकित किया जायें।

नोट :– समस्त संचालक/प्राचार्य से आग्रह है कि, वे उक्त सूचना को अपने महाविद्यालय के समस्त सूचना पटलों पर आवश्यक रूप से चस्पा करावें।

(डॉ अनिल गोयल)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल